प्रधानाचार्य और अधीक्षक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रेक्टिस

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने लिया निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहां प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्पादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष एवं कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों एवं अधीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इस जनहितैषी निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

विभागाध्यक्ष एवं यूनिट हैड भी नहीं बन सकेंगे

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए एक चैथाई से ज्यादा समय नहीं देंगे।

- **मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी**

चयनित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हैड बनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे।

समिति करेगी चयन, अधिकतम आयु 57 वर्ष

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि राजकीय एवं राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद के लिए वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पात्र शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। यदि महाविद्यालय में पात्र चिकित्सक-शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र चिकित्सक भी आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। समिति में कार्मिक विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव एवं विभागाध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

प्रधानाचार्य का स्थानांतरण भी संभव

परिपत्र के अनुसार समिति द्वारा प्रधानाचार्य पद के लिए 3 चिकित्सा अधिकारियों का पैनल बनाया जाएगा। सक्षम स्तर से पैनल के अनुमोदन के उपरांत चयनित अधिकारी को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। राज्य हित में इन चयनित प्रधानाचार्यों को अन्य मेडिकल कॉलेज में भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इनका कार्यकाल प्रथमत: 3 वर्ष का होगा। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की अभिवृद्धि प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। प्रधानाचार्य द्वारा पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने या उस पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता एवं गंभीर आरोप होने पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या अन्य सक्षम अधिकारी अथवा समिति से जांच करवाई जा सकेगी।

वरिष्ठतम आचार्य बनेंगे अधीक्षक

इसी प्रकार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एकल विशिष्टता युक्त शैक्षिणक चिकित्सालयों में संबंधित विशिष्टता के वरिष्ठ आचार्य को अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा। यदि वरिष्ठ आचार्य द्वारा पद ग्रहण करने में लिखित रूप से असमर्थता व्यक्त की जाती है अथवा राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो उसी संस्थान में कार्यरत अगले वरिष्ठ आचार्य को अधीक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बहुविशिष्टता वाले शैक्षिणक चिकित्सालयों में अधीक्षक की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन एवं एकेडमिक) एवं संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति द्वारा पात्र आवेदकों का साक्षात्कार लेकर नियुक्ति हेतु नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार किसी एक चिकित्सक को अधीक्षक नियुक्त करेगी।

अन्य कॉलेज के चिकित्सक भी कर सकेंगे आवेदन

बहु विशिष्टता युक्त चिकित्सालयों के अधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत विषयों के वे वरिष्ठ आचार्य या आचार्य पात्र होंगे, जो कम से कम 5 वर्ष की सेवा इन पदों पर पूर्ण कर चुके होंगे।

इनके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो इस योग्यता के सबसे करीब हो, उनका चयन किया जा सकेगा। अगर मेडिकल कॉलेज में पात्र चिकित्सक उपलब्ध नहीं होंगे तो केंद्र या राज्य सरकार के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र चिकित्सक को आवेदन की अनुमति होगी। अधीक्षक के पद पर आवेदन करने वाले चिकित्सकों को इस पद पर पूर्णकालिक कार्य करने का शपथ पत्र देना होगा। वे अपने पदीय कर्तव्यों पर एक चैथाई से अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकेंगे तथा एचओडी एवं यूनिट हैड के साथ ही निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। इनकी नियुक्ति प्रथमत: 3 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

अधिकतम 5 अतिरिक्त प्राचार्य बना सकेंगे

वर्तमान में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों एवं कार्यों के संबंध में एकरूपता नहीं है। इसे देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 5 से अधिक अतिरिक्त प्रधानाचार्य नहीं होंगे। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन हेतु इनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।

ये एकेडमिक, रिसर्च एवं फैकल्टी अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स, प्रशासन तथा क्लिनिकल एवं हॉस्पिटल सेवाओं से संबंधित दायित्व संभालेंगे। सभी अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा इन पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ आचार्यों में से की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रथमत: 3 वर्षों के लिए की जाएगी। यदि किसी अतिरिक्त प्रधानाचार्य की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं तो उसे समय से पहले भी हटाया जा सकेगा।

तीन साल की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने वाले अधिकारी को सक्षम स्वीकृति उपरांत एक-एक वर्ष की अवधि के लिए तीन बार पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

राजस्थान का 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

सीकर के बजरंग लाल जैथू ने प्रथम और श्रीगंगानगर के खरलां जल उपभोक्ता संगम ने हासिल किया तृतीय पुरस्कार

जयपुर (कासं)। राजस्थान के जल संरक्षण और संचयन के कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों-2024 में खरलां जल उपभोक्ता संगम, श्रीगंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तृतीय एवं बजरंग लाल जैथू (सीकर) ने जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार (पश्चिम क्षेत्र) प्राप्त किया है। इनके अतिरिक्त बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उपश्रेणी में द्वितीय-संयुक्त, अंबुजा फाउण्डेशन, जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। सीकर के बजरंगलाल जेठू वर्ष 1993 से जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। उन्होंने जल संसाधनों के जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापन और संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अलावा, स्कूलों, उद्यानों और श्मशान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जल संरक्षण के विभिन्न नवाचार भी किए हैं। वहीं, श्रीगंगानगर के खरलां जल उपभोक्ता संगम ने नहरों व खालों की सफाई, लोगों को वसूली कैंप के प्रति जागरूक करना, काश्तकारों के हित में उनको नई तकनीक से अवगत करवाने जैसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों के माध्यम से आमजन में जल के महत्व के प्रति जागरूकता आई है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की जल संरक्षण और इसके संचयन के क्षेत्र में नई पहचान बन रही है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित कर जल संरक्षण और संचयन के कार्यों को नई दिशा दी है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधारोपण, जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं सम्बंधित कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (विद्यालय या महाविद्यालय के अलावा), सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे।

स्वदेशी अपनाएंगे, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा : दिया कुमारी

''आत्मनिर्भर भारत'' संकल्प अभियान के तहत जयपुर में महिला सम्मेलन आयोजित हुआ

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर की ओर से ''आत्मनिर्भर भारत संकल्प'' अभियान के तहत आयोजित विराट महिला सम्मेलन गुरुवार को राजापार्क स्थित भाटिया भवन में आयोजित हुआ। समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई।

उन्होंने कहा कि जब हम अपने भारत में बने हुए चीजों को खरीदेंगे तभी हमारा देश आत्म निर्भर बन सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजना रखी है जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं को राजनीति में आने के बहुत अवसर मिलेंगे। पंचायती राज, निगम चुनाव, विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा सभी जगह महिलाओं का बोलबाला रहेगा।

दिया कुमारी ने कहा कि 19 नवंबर को घूमर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कर महिलाओं को इसमें हिस्सा लेना है। विद्याधर नगर विधानसभा के फुटबॉल ग्राउंड में 3 से 4 बजे की बीच होगा। यह सातों संभाग के मुख्यालय पर आयोजित होगा। उन्होंने सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी दिलाया।

भाजपा जयपुर शहर की ओर से आयोजित महिला सम्मेलन में शरीक हुई उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को पदाधिकारियों ने उनका चित्र भेंटकर स्वागत किया।

इस अवसर पर जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनाना है, तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करना होगा।

जहां विश्व शक्ति बनने के बात आती है, तो वहां अहंकार होता है। जब विश्व गुरु बनने की बात आती है तो वहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। 140 करोड़ भारतीयों को मजबूत बनाने का संकल्प है।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर नल अभी चल रही है जिसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिल रहा है।

महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, भाजपा प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, जयपुर शहर के सह प्रभारी नरेश बंसल, तथा भाजपा प्रदेश मंत्री अजीत मांडन ने भी शिरकत की।

ऋण वसूली अधिकरण ने लगाई लोक अदालत

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 नवम्बर को ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित मुकदमों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण के लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर स्थित कार्यालय में भी विशेष लोक अदालत आयोजित हुई।

इस लोक अदालत को सफल बनाये जाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा भी सभी बैंकों के चैयरमैन, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सभी इस लोक अदालत में सक्रिय योगदान प्रदान करे एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपने अधिनस्थ सभी अधिकारियों को भी सकारात्मक सहयोग हेतु निर्देशित करें ।अधिकरण के पीठसीन अधिकारी विमल गुप्ता द्वारा सभी बैंकों के महाप्रबन्धक व उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की। जिसमें सभी बैंक अधिकारियों द्वारा इस लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण कर लोक धन की वसूली के लिए अधिकतम प्रयास किये जाने का आश्वासन दिया गया है। लोक अदालत के लिए डीआरटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा भी कोशिशें की जा रही है।

मनरेगा में फार्म पॉण्ड श्रेणी के अंतर्गत हो सकेगा टांका निर्माण का कार्य

जयपुर (कासं)। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पॉण्ड श्रेणी में टांका निर्माण के कार्य किए जा सकेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुरोध को केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने गत माह केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण कार्य पूर्व की भांति जारी रखने का आग्रह किया था। श्री शर्मा ने कहा कि रेगिस्तानी जिलों में टांका निर्माण जल सुरक्षा, कृषि विकास और जलवायु अनुकूल आजीविका के लिये अत्यन्त उपयोगी, सस्ता और टिकाऊ समाधान है।

- **केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अनुरोध स्वीकार किया**

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए फार्म पॉण्ड का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य है। योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए टांका निर्माण कार्य को फार्म पॉण्ड श्रेणी के तहत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र की डबल इंजन की सरकार कृषि क्षेत्र में निरंतर दूरगामी निर्णय ले रही है, जिससे किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है।

विविधताओं को कैसे संभालना है, यह भारत को पूरी दुनिया को सिखाना है : मोहन भागवत

उन्होंने कहा कि ''संघ को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना संघ के बारे में राय मत बनाइए, संघ से जुड़ने के लिए शाखा में आइए, जो अनुकूल लगे वह काम आप कर सकते हैं। संघ पूरे समाज को संगठित करना चाहता है।''

जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने कहा है कि विविधताओं को कैसे संभालना है, यह हमें दुनिया को सिखाना है क्योंकि दुनिया के पास ऐसा तंत्र नहीं है जो भारत के पास है। वे गुरूवार को को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 वर्ष की संघ यात्रा श्रंखला के अंतर्गत कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, जयपुर के पृथ्वीराज चौहान सभागार में उद्यमी संवाद ''नए क्षितिज की ओर..'' कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश के प्रमुख उद्यिमयों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संघ को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना संघ के बारे में राय मत बनाइए। संघ से जुड़ने के लिए शाखा में आइए, जो आपको अनुकूल लगे वह काम आप कर सकते हैं। संघ पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है। पूरा समाज संघ बन जाए यानी प्रमाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से सब लोग देश के लिए जिएं।

सरसंघचालक ने कहा कि संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम कोई सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि आगे के चरण की दृष्टि से अपने कार्य की वृद्धि का विचार करने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को परम वैभव संपन्न और विश्वगुरु बनाना किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार, विचार, महापुरुष, अवतार और संघ जैसे संगठन इसमे सहायक हो सकते हैं परन्तु मूल कारण नहीं बन सकते। यह सबका काम है और इसके लिए सबको साथ लेकर चलना है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने गुरूवार को जयपुर स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में उद्यमियों से संवाद किया।

उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना किसी एक विषय को लेकर नहीं हुई। संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार क्रांतिकारी थे। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। उसके आंदोलनों में संघ स्थापना के पहले और एक बार स्थापना के बाद दो बार जेल गए। जो देश हित और समाज हित में चल रहा था उसमें वह सक्रिय रहे। असहयोग आंदोलन में उन पर राजद्रोह का अभियोग लगा। उन्होंने बचाव में पक्ष रखना चुना क्योंकि इससे दोबारा भाषण का मौका मिलता । उनके बचाव भाषण को सुनकर जज को कहना पड़ा कि उनका बचाव भाषण पहले भाषण से भी अधिक राज द्रोही है। डॉ. हेडगेवार ने अनुभव किया कि समाज में डेढ हजार साल से जो दुर्गुण आ रहे थे उन्हें दूर करना जरूरी है। उन्हें महसूस हुआ कि संपूर्ण हिन्दू समाज को संगठित किए बिना भारत इस पुरानी बीमारी से मुक्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक दशक तक विचार और प्रयोगों के बाद संघ की स्थापना की।

डॉ. भागवत ने कहा कि संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना है। भारत वर्ष में हमारी पहचान हिन्दू है। हिन्दू शब्द सबको एक करने वाला है। हमारा राष्ट्र संस्कृति के आधार पर एक है न कि राज्य के आधार पर। पुराने समय में जब राज्य अनेक थे तब भी हम एक देश थे, पराधीन थे तब भी एक देश थे। उन्होंने कहा कि समाज की स्वस्थ अवस्था का नाम समाज का संगठन है।

- **भागवत ने कहा कि ''सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ है।''**

उन्होंने कहा कि सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं। कृषि, व्यापार, उद्योग परस्पर साथ आकर परस्पर निर्भर होकर तीनों एक साथ प्रगति करें। छोटे और मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करते है।

इन उद्योगों को अपने देश के अंदर सुचारू रूप से चलने का वातावरण देना ये बड़े उद्योगों का काम है। छोटे उद्योगों को रोजगार, कौशल, उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना चाहिए। यह करते समय व्यापार और खुशी इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। खुशी आधारित उद्योगों से देश में वास्तविक समृद्धि मिलेगी।

इससे पूर्व राजस्थान क्षेत्र संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हेमंत सेठिया ने किया।